भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4780
दिनांक 20.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्लास्टिक पार्क उद्योग

4780. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्लास्टिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजित करने तथा उक्त उद्योग के लिए आधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु प्लास्टिक पार्क योजना का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्लास्टिक पार्कों में सामान्य सुविधा केन्द्र, कच्चे माल की उपलब्धता तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्थानीय युवाओं को उक्त उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में उक्त पार्क की स्थापना के प्रस्ताव का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी, हां। भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के माध्यम से, देश में आवश्यकता आधारित प्लास्टिक प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास को सहयोग प्रदान करने हेतु प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने संबंधी योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य, क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अवसंरचना और साझा सुविधाएं प्रदान करके डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन में वृद्धि हो सके।

इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत की 50% तक अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है, जबकि शेष लागत का वहन राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी तथा भागीदार उद्योगों द्वारा एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) से किया जाता है।

मध्य प्रदेश:

राज्य में दो प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

1. **तामोट प्लास्टिक पार्क -** इस परियोजना को 2013 में भारत सरकार के 40 करोड़ रुपये के अनुदान सहित लगभग 108 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया था।
2. **बिलौआ प्लास्टिक पार्क (ग्वालियर) -** इसे 2018 में भारत सरकार के लगभग 34.36 करोड़ रुपये के अनुदान सहित लगभग 68.72 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया था

इन पार्कों को सड़कों, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवरेज / अपशिष्ट उपचार प्रणाली, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य सहायक सेवाओं जैसी सामान्य अवसंरचना और सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है ताकि प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और इस क्षेत्र में रोजगार सृजित किया जा सके।

आज की तिथि तक, देश के विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनका राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**प्लास्टिक पार्क का नाम**	**भौतिक अवसंरचना (सिविल कार्य) में समग्र प्रगति (% में)**	**आवंटित भूखंडों की संख्या**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**कुल स्वीकृत केंद्रीय अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**जारी किया गया केंद्रीय अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**किया गया निजी निवेश (करोड़ रुपये में)**	**सृजित रोजगार**
1	तामोट, मध्य प्रदेश	**100**	33	108.00	40.00	36.00	68.75	274

2	जगतसिंहपुर, ओडिशा	100	46	106.78	40.00	36.00	91.28	295
3	तिनसुकिया, असम	96	84 भूखंड और 15 शेड	93.65	40.00	35.73	212.00	982
4	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	84	राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चेन्नई द्वारा रोक लगाई गई।	216.91	40.00	15.97	-	-
5	देवघर, झारखंड	91	-	67.33	33.67	30.30	-	-
6	बिलौआ, मध्य प्रदेश	100	05	68.72	34.36	30.92	2.54	-
7	सितारगंज, उत्तराखंड	67	41	115.81	33.91	30.51	-	-
8	रायपुर, छत्तीसगढ़	100	38	42.09	21.04	18.93	-	-
9	गंजीमठ, कर्नाटक	83	-	62.77	31.38	17.25	-	-
10	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	62	62	69.58	34.79	19.12	89.00	295

(घ) और (ङ): विभाग ने पहले ही 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। विभाग वर्तमान में स्वीकृत 10 पार्कों के अलावा और अधिक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने पर विचार नहीं कर रहा है और वर्तमान में इन 10 पार्कों को सफलतापूर्वक पूरा करने और उन्हें प्रचालित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
